



राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com
rajbhasha@dhsu.edu.in
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

पत्र क्र.— राभाप्र./33/2025/3051

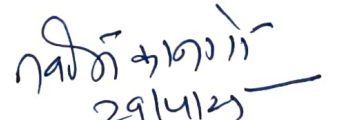
दिनांक: 29.04.2025

आदेश ORDER

विषय: राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-8(4) के तहत आदेश
Sub : Order under Rule- 8(4) of O.L. Rules, 1976 (As amended, 1987)

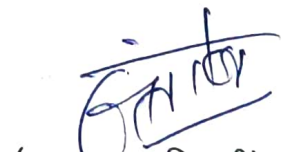
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है अर्थात् हमारे विश्वविद्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम-8(4) के अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि वह टिप्पण, प्रारूप पत्र लेखन इत्यादि अपना समस्त सरकारी कार्य हिंदी में ही करें।

आदेशानुसार,


29/4/25
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त निदेशक, प्रशासनिक एवं अध्ययनशाला
2. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्र प्रभारीगण
3. नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा/प्रकोष्ठ
4. प्रभारी वित्ताधिकारी एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण
6. प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ— वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कुलपति सचिवालय, माननीया कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
9. कुलसचिव के निजी सहायक— सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल


(राजभाषा अधिकारी)